

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा की वैद्यता की तिथि में वृद्धि के संबंध में।

सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने तथा अन्य राज्यों में सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों की उम्रसीमा बिहार राज्य से अधिक होने के आलोक में कतिपय बेरोजगारों एवं संस्थाओं की माँग पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयुसीमा का निर्धारण मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से संकल्प संख्या-1735 दिनांक-22.06.2006 के तहत निम्नानुसार किया गया :-

(क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष)	- 37 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	- 40 वर्ष
(ग) अनारक्षित वर्ग (महिला)	- 40 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	- 42 वर्ष


उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयुसीमा दिनांक-31.12.2010 तक प्रभावी था। इसे विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2530 दिनांक-29.06.2010 द्वारा 31.12.2015 तक के लिए विस्तारित किया गया।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पुनर्निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को दिनांक-31.12.2015 से आगे बढ़ाकर अगले आदेश तक के लिए प्रभावी किया जाय।

यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजेंद्र राम) 7.1.2016

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0-विविध-05/2013 सा0प्र0...294...पटना-15, दिनांक- 7.1.16

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ0-विविध-05/2013 सा0प्र0...294...पटना-15, दिनांक- 7.1.16

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्सद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्सदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव